तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 26/2026 बउनवान ईमाम बनाम नेहाल वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस., प्रथम लिंक अधिकारी

–:आदेश:–

दिनांक 03.06.2026

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री मुकेश जैन।
2. रेस्पों. संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध है। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. संख्या 01 के द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा कोनरा, पटवार हल्का कोनरा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 273 रकबा 31.1769 हेक्टेयर, खसरा संख्या 275 रकबा 70.9979 हेक्टेयर कुल रकबा 102.1748 हेक्टेयर भूमि बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 16.10.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया था। जो विधि संगत नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जिसकी अनुपस्थिति में एकतरफा आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि से विपरीत होने से खारिज योग्य है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश के जरिये पाबंद किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन निर्णय की अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही हैं या नहीं यह दावे में तय होगा। न्यायालय को तय यह करना है कि राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया है जो पूर्णतया विधि संगत है। अगर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है तो वाद की बाहुल्यता बढेगी। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बेचान कर दिया जावेगा। जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी संभव नहीं है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा तकनीकी एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। रेस्पों. द्वारा अपीलांट के कब्जा–काश्त में कभी भी दखलअंदाजी नहीं की गई है। हस्तगत विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड सहखातेदार एवं बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा–काश्त होने से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। वाद की बहुलता नहीं बढे एवं हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रहे इसलिये राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथा स्थिति का अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(ओमप्रकाश विश्नोई),
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर